

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2019/0045

मुकदमा नम्बर 235/2019

दायर दिनांक-27.11.2019

1. फूलचन्द पुत्र स्व. सुलतान जाति जाट निवासी बडवासी तहसील नवलगढ़

..... वादी

1. जयदेव सिंह पुत्र स्व. बिरमाराम

2. चन्द्रकला देवी पत्नी स्व.बिरमाराम

3. शारदा

4. सन्तोष

5. सुमिता पुत्रियां स्व. बिरमाराम

6. विजेन्द्र सिंह

7. सुभाष पुत्रान स्व. मोहन

8. नत्थूराम पुत्र स्व. सुलतान

9. इमरता

10. सरोज पुत्रियां स्व. सुलतान सभी जाति जाट निवासी बडवासी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

11. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़

12. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ़

..... प्रतिवादी

दावा -घोषणार्थ, दुरुस्त करवाने रिकार्ड, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री विजेन्द्र सिंह जाखड़

वकील प्रतिवादी 1 लगा. 10,12 - एक पक्षीय

प्रतिवादी सं. 11- पैरो. राज.

-:निर्णय:-

निर्णय दिनांक 15.05.2024

वाद वादी दिनांक 30/12/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./22/923 दिनांक 02/06/2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

SV

नवलगढ़ उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (झुझुनू)

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्वायालय में सुनाया गया।

JV

(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़